ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-1*February- 2018
Innovation The Research Concept

बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जोधपुर जिले के निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया की वस्तुस्थिति का एक अध्ययन

बाबूलाल दायमा
निदेशक,
योग केन्द्र,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान

मांगेलाल
शोधार्थी,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान

सारांश

कानूनी तौर पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने वाला यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। इसका प्रारूप बनाने और संसद में रखे जाने के समय जो बहस शुरू हुई थी वह अब समाप्त हो गई हैं। एक तरफ जहां इसे ऐतिहासिक कानून बताया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ इसे भारत की गरीब जनता के साथ एक छलावा और शिक्षा के बाजारीकरण की तरफ एक कदम बताया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के खिलाफ एक बात यह कही जा रही है कि यह कानून शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देगा। निजी विद्यालयों में इस अधिनियम की पालना के लिए जिन 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा उनका शुल्क भी सरकारी खजाने से देने की बात कही गई है। पर देखने की बात यह है कि निजी विद्यालय तो देश में पहले से ही मौजूद हैं। क्या यह अधिनियम मुनाफाखोर विद्यालयों को बढ़ावा देता है,क्या जिस कमजोर वर्ग को लाभ पहुॅचानें के लिए 25 प्रतिषत सीटों का आरक्षण निर्धारित किया हैं, क्या वास्तव में उस वर्ग को यह लाभ प्राप्त हो रहा हैं? या केवल प्रवेश देने के बाद उनसे अन्य मदों के नाम पर शुल्क लिया जा रहा हैं? यह ज्ञात करने के लिए जोधपुर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 40 निजी विद्यालयों को लिया गया। प्रत्येक क्षेत्र से क्रमशः 20–20 निजी विद्यालयों को चुना गया। प्रत्येक विद्यालय से 5 विद्यार्थियों को जिनका इस अधिनियम के तहत चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 200 विद्यार्थियों एवं उनके 200 अभिभावकों का न्यादर्ष हेतु चयन किया गया। निष्कर्ष में पाया गया कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पालना सही रूप में नहीं हो रहीं है। किन्तु बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् चयनित विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

मुख्य शब्द : शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निजी विद्यालय प्रवेश प्रक्रिया और कमजोर वर्ग।

प्रस्तावना

''एक प्रबुद्ध, सुदृढ़ और सम्पन्न राष्ट्र के निर्माण का दायित्व उन बच्चों के कंधों पर है जिन्हें विकसित करने के लिए संवेदनशीलता, कोमलता और सावधानी की आवश्यकता है। शिक्षा ने सदैव ऐसी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस प्रकार शिक्षा मानवीय–समाजों की स्वाभाविक विशेषता के रूप में उभरी है। ..... मानवता के सर्वोत्तम आदर्शों का प्रकाश–स्तम्भ शिक्षा ही रही है।''

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में सामाजिक समरसता का विकास करने का प्रयास किया गया। इसी विकास के क्रम में शिक्षा पर भी ध्यान दिये जाने लगा जिसके परिणामस्वरूप निम्न कार्यक्रम चलाये गये –

1. सर्व शिक्षा अभियान
2. प्रौढ़ शिक्षा
3. सबके लिए शिक्षा
4. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

इन कार्यक्रमो का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित बनाना और इनके सामाजिक जीवन के स्तर को ऊँचा उठाना था जिससे ये अपना विकास कर सकें।

86 वें सविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21–क में शिक्षा के अधिकारको मौलिक अधिकार बनाया गया है। अब राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेगा। अनुच्छेद 45 में भी शिक्षा के

अधिकार को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत राज्य 6 वर्ष तक के सभी बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख एवं शिक्षा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार जोड़ने का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 21–क में शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया जाना था।

शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग 4–क में 11वें मूल –कर्त्तव्य के रूप में जोड़ा गया है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि 6–14 वर्ष के आयु के बालकों को उनके माता–पिता या संरक्षक शिक्षा उपलब्ध करायेगें।

शिक्षा का अधिकार कानून एक अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। अब शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होगी। शिक्षा को समवर्ती सूचीं में डालागया है। अर्थात् इस विषय पर केन्द्र और राज्य दोनों कार्य करेंगे, किन्तु केन्द्र सरकार ने सिर्फ उच्च शिक्षा पर ही ज्यादा ध्यान दिया प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए केन्द्र द्वारा उचित संसाधन न उपलब्ध होने से यह उपेक्षित रह गई। राज्यों के पास शिक्षा के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है।

अतः शिक्षा का अधिकार केवल कानून बन कर न रह जाये। इसके क्रियान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को मिलकर कार्य करना होगा तभी शिक्षा के अधिकार कानून सबको उपलब्ध हो पायेगा।

कानूनी तौर पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने वाला यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। इसका प्रारूप बनाने और संसद में रखे जाने के समय जो बहस शुरू हुई थी वह अब समाप्त हो गई हैं। एक तरफ जहां इसे ऐतिहासिक कानून बताया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ इसे भारत की गरीब जनता के साथ एक छलावा और शिक्षा के बाजारीकरण की तरफ एक कदम बताया जा रहा है।

यदि अधिनियम में अलग–अलग जगह दी गई कुछ चीजों को एक साथ देखे तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिनियम की धारा चार के अनुसार :

1. जो बच्चे कभी विद्यालय गए ही नहीं या जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ दिया था,वे यदि छह साल से ज्यादा की उम्र में विद्यालय आते हैं तो उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात् 12 वर्ष के बच्चे को छठी या सातवीं में प्रवेश मिलेगा।
2. ऐसे बच्चों को अपनी कक्षा के साथ चलने के लिए तैयार करने के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण लेने का हक होगा।
3. इन बच्चों को 14 वर्ष की उम्र के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी न होने तक शिक्षा प्राप्त करने का हक होगा।

धारा 16 के अनुसार किसी भी बच्चे को शाला में प्रवेश दिए जाने के बाद न तो 'फेल' किया जा सकेगा और न ही शिक्षा पूरी होने तक शाला से निकाला जा सकेगा। धारा 30(1) के अनुसार किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक कोई बोर्ड परीक्षा पास नहीं करनी होगी तथा धारा 30(2) के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले को निर्धारित रीति से प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के खिलाफ एक बात यह कही जा रही है कि यह कानून शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देगा। निजी विद्यालयों में इस अधिनियम की पालना के लिए जिन 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा उनका शुल्क भी सरकारी खजाने से देने की बात कही गई है। पर देखने की बात यह है कि निजी विद्यालय तो देश में पहले से ही मौजूद हैं। उनमें वे विद्यालय भी हैं जो वास्तव में शिक्षा के प्रसार के लिए पूरी ईमानदारी से जनहित में खोले गए हैं और मुनाफा कमाने का कोई इरादा इनके खोलनेवालों के मन में नहीं रहा। पूरे देश में शायद हजारों विद्यालय इस प्रकार के होंगे। दूसरी तरफ निजी विद्यालयों में वे विद्यालय भी हैं जो केवल मुनाफा कमाने की इच्छा से ही खोले गए हैं, जहां जनहित या शिक्षा के फैलाव का कोई भी जज्बा आस–पास भी नहीं है। ये ठीक है कि ये विद्यालय खुले तौर पर नहीं कह सकते कि इनका इरादा केवल मुनाफा कमाने का है, क्योंकि ये सभी अलाभकारी समितियों या ट्रस्टों के नाम पर चलाए जा रहे हैं। क्या यह अधिनियम इस दूसरी तरह के मुनाफाखोर विद्यालयों को बढ़ावा देता है, क्या जिस कमजोर वर्ग को लाभ पहुँचानें के लिए 25 प्रतिषत सीटों का आरक्षण निर्धारित किया हैं, क्या वास्तव में उस वर्ग को यह लाभ प्राप्त हो रहा हैं? या केवल प्रवेश देने के बाद उनसे अन्य मदों के नाम पर शुल्क लिया जा रहा हैं? ये सब बातें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, जिसका अध्ययन करना आवष्यक हैं।

समस्या का औचित्य

शोध के माध्यम से शोधकर्ता ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि 1 अप्रैल 2010 को पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जोधपुर जिले के निजी षिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रकिया की वस्तुस्थिती क्याहै?

समस्या कथन

शोधकर्त्ता ने वर्तमान समस्या का कथन इस प्रकार किया है।

''बालकों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जोधपुर जिले के निजी षिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया की वस्तुस्थिति का एक अध्ययन।''

शोध अध्ययन के उद्देश्य

'शोध का उद्देश्य इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी षिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्षिता एवं वस्तुस्थिति का अध्ययन करना है। निम्नलिखित उद्देश्य इस प्रकार है –

1. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निजी षिक्षण संस्थाओं में आर्थिक से कमजोर विद्यार्थियों के कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए 25 फीसदी आरक्षण की पालना की जा रही है या नहीं का अध्ययन करना।
2. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं

इस शोध के निष्कर्षों के अनुमान के आधार शोध अध्ययन की निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं –

1. बालकों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पालना सही रूप में नहीं हो रही है।
2. बालकों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चयनित विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

शोध में प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली

शोध को परिषुद्ध व उत्तम रूप प्रदान करने हेतु उसकी भाषा स्पष्ट, सुग्राही होना आवष्यक है। प्रस्तुत कार्य में कुछ महत्वपूर्ण शब्द शिक्षा का अधिकार प्रवेश प्रक्रिया एवं कमजोर वर्ग आदि शब्दावली का प्रयोग हुआ है अतः इस शोध कार्य में इन शब्दों का परिभाषिक विवेचन निम्नवत है –

शिक्षा का अधिकार

बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 1 अप्रेल 2010 को प्रभाव में आया जिसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के रूप में जाना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को भारत लोकसभा द्वारा तथा 20 जुलाई 2009 को राज्य सभा के अनुमोदन के बाद पारित किया गया था। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। राजपत्र में निःशुल्क बच्चे के अधिकार पर और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया सितम्बर 2009। 1 अप्रेल 2010 पर यह जम्मू और कष्मीर राज्य को छोड़कर, पूरा करने के लिए लागू के रूप में अस्तित्व आया।

प्रवेश प्रक्रिया

देशभर में स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए है। इसकी आवष्यकता इसलिए महसूस की गई कि कुछ राज्यों में स्कूलों में बच्चों को पूर्व प्राथमिक स्कूलों में नामांकन हेतु स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है यह अधिनियम के तहत् प्रतिबंधित है। अप्रेल 2010 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संस्था आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह मांग की है कि सरकारी आदेष जारी कर स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाए।

प्रवेश प्रक्रिया को पुनः शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अन्य राज्यों में भी उल्लघंन न किया जाये, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षा आयोग ने सभी प्रमुख सचिवों को अपने पत्र में सरकारी आदेषों द्वारा सभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने की मांग की। जो निम्नलिखित है –

1. प्रवेश प्रक्रियाएं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप हो।
2. सभी विषेष वर्गों के स्कूलों तथा बिना सहायता वाले निजी स्कूलों में कमजोर वर्गों के लिए 25 प्रतिषत सीट का आरक्षण सुनिश्चित किया जाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए।

कमजोर वर्ग

स्माज के गरीब और पिछड़ेपन के हाषिए पर रहने वाले अभिभावक जो अपने बच्चों के लिए आधुनिक सुविधा वाले निजी स्कूल, विद्यालय गणवेष (यूनिफार्म) पाठ्य पुस्तकें, मध्य भोजन, परिवहन तथा स्कूल फीस वहन करने में सक्षम नहीं है। अर्थात् उपर्युक्त साधनों के अभाव में बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं करवा पा रहे है।

शोध अध्ययन की परिसीमाएं

किसी भी समस्या के गहन एवं वैज्ञानिक अध्ययन व शोध को उपभोगी बनाने के लिए यह आवष्यक है कि उसका परिसीमन किया जाये इससे शोध प्रक्रिया में निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तथा शोध को वैध एवं विष्वसनीय बनाने एवं इससे उपयोगी परिणामों व निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए इसका परिसीमन किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत शोध को जोधपुर जिले के 40 विद्यालयों तक ही सीमित रखा गया है। प्रस्तुत शोध में जोधपुर जिले के 20 ग्रामीण निजी विद्यालय तथा 20 शहरी निजी विद्यालयों तक ही सीमित रखा है।

न्यादर्ष

इसके लिये जोधपुर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के 40 निजी विद्यालयों को लिया गया। प्रत्येक क्षेत्र से क्रमशः 20–20 निजी विद्यालयों को चुना गया। प्रत्येक विद्यालय से 5 विद्यार्थियों को जिनका इस अधिनियम के तहत चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 200 विद्यार्थियों एवं उनके 200 अभिभावकों का न्यादर्ष हेतु चयन किया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए 'सर्वेक्षण विधि' का प्रयोग किया गया है।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन के लिए निम्नलिखित स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया हैः–

1. अभिभावकों के लिए प्रश्नावली
2. विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तुत शोध में प्रदत्त विश्लेषण एवं अर्थापन हेतु प्रतिषत विधि का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या

''बालकों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जोधपुर जिले के निजी षिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया की वस्तुस्थिति का एक अध्ययन।'' से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्न प्रकार से दर्शायी गई है :–

परिकल्पना संख्या 1

बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पालना सही रूप में नहीं हो रहीं है।

उपरोक्त परिल्पना की सत्यता की जॉच के लिए अभिभावको की प्रश्नावली के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को लिया गया जिसके अनुसार

1. अभिभावकों (122, 61 प्रतिशत) का मत था कि उन्हें विद्यालय में बच्चे को प्रवेश दिलाने के दौरान समस्या का सामना करना पड़ा तथा बच्चे का दाखिला विद्यालय में आसानी से नहीं हुआ,उन्हे बार–बार अलग–अलग दस्तावेज लाने के लिए कहा गया आदि कई समस्याओं का सामना करना पडा।
2. 200 अभिभावकों में से (64, 32 प्रतिशत) एवं विद्यार्थियों में से (56, 28.0 प्रतिशत) ने माना की कि विद्यालय में प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क, भवन निर्माण शुल्क आदि के नाम से कैपिटेशन फीस ली जा रही है, जो नियमों के अनुसार उचित नहीं हैं। यहॉ सरकार को ध्यान देना होगा की निजी विद्यालय विद्यार्थियों से किसी प्रकार की कोई कैपिटेशन फीस बच्चों से नहीं ले। यह संकेत आर.टी.ई. को कमजोर बनाते है।
3. अभिभावकों एवं विद्यार्थियों (67, 33.5 प्रतिशत) ने माना की विद्यालय से घर की दूरी 3 किलोमीटर से ऊपर है। यदि यहाँ देखें तो 200 अभिभावकों में से 67 अभिभावकों को अभी भी विद्यालय में आने के लिये 3 कि.मी. की दूरी से ऊपर का सफर तय करना होता है। यानि की अभी भी 33.5 प्रतिशत अभिभावकों को विद्यालय से घर तथा घर से विद्यालय के लिये 3 कि.मी. से ऊपर का सफर तय करना पड़ता है।
4. अभिभावकों (200, 100.0 प्रतिशत) ने माना की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सख्या 45 से ऊपर है। यहाँ इस सख्या स्तर को देखने पर पता चला है कि आज भी निजी विद्यालयों की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात काफी अधिक है। अधिनियम में 35 : 1 की सख्या विद्यमान है यानि प्रत्येक कक्षा में 1 शिक्षक 35 विद्यार्थियों को ही पढ़ायेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। यहाँ तो एक–एक कक्षा में एक ही शिक्षक को 45–50 बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है तथा कई बार तो विद्यार्थियों की संख्या 65 से भी अधिक देखी गई है। जो की अधिनियम के खिलाफ है। अतः इस अधिनियम को शैक्षिक गुणवत्ता लाने के लिये विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का अनुपात जो निर्धारित है उसे प्रत्येक विद्यालय की कक्षा में लागू करना होगा ताकि शिक्षकों तथा कक्षाओं को अतिरिक्त बोझ ना झेलना पड़े।
5. अभिभावकों (200,100.0 प्रतिशत) के विचारों को जानने पर पता चला की इनके बच्चों को कॉपी, किताबें, स्टेशनरी तथा वर्दी (गणवेश) इत्यादि सभी विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा बताई गई दुकान से लेनी पडती है। जो कि अत्यन्त महंगी होती है। विद्यार्थियों (164, 82.0 प्रतिशत) ने माना की उनके अभिभावकों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही बताया की रोजाना विद्यालय में आवागमन के साधनों का खर्च वहन करना पड़ता है, क्योंकि विद्यालयों में पहुँचने के लिये वाहनों का सहारा लेना पड़ता है तथा उसके बाद शिक्षा पर अन्य खर्च भी होता है जैसे विद्यालयों में होने वाली गतिविधियों, स्टेशनरी आदि का खर्च। क्योंकि स्टेशनरी ज्यादा दिन नहीं चलती। विद्यार्थियों (200, 100.0 प्रतिशत) के विचारों को जानने पर पता चला की सभी विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा बताई गई दुकान से किताबें, वर्दी (गणवेश) इत्यादि लेनी पडती है। जो कि अत्यन्त महंगी होती है। यदि दूसरी तरफ देखा जाये तो ये अभिभावक आर्थिक कारणों के चलते भी अपने बच्चों को निजी विद्यालय में भेज रहे हैं ताकि उनको वे अच्छे से शिक्षित कर सकें। यहाँ आर.टी.ई. का नकारात्मक पहलू यह देखा गया की बच्चों को सरकारी विद्यालयों में तो मुफ्त किताबें, वर्दी (गणवेश), मुहैया करवायी जा रही है जिससे माता–पिता को आर्थिक सहायता मिलती है, किन्तु निजी विद्यालयों में ये सुविधा नहीं है। 200 अभिभावकों में से 70 अथवा 35 प्रतिशत ने माना की विद्यालय में प्रवेश के उपरांत बच्चे के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क, भवन निर्माण शुल्क आदि के नाम से अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।
6. अभिभावकों (82,41प्रतिशत) ने माना की उनको कक्षा अध्यापक व विद्यालय के अन्य शिक्षकों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। अध्यापकों द्वारा उनसे सख्तीपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। सामान्यतः कक्षा में बैठने की व्यवस्था में (पीछे की सीट पर बैठाना), प्रश्न पूछने पर डांटना अथवा बैठा देना या उत्तर नहीं देना, मौखिक साक्षात्कार में भेदभाव, अंक वितरण, खेलकूद में चयन आदि में भेदभाव किया जाता है। (84, 42.0 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने माना की उनको कक्षा अध्यापक व विद्यालय के अन्य शिक्षकों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। अध्यापकों द्वारा उनसे सख्तीपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इन आकंड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर.टी.ई. अधिनियम का पालन विद्यालयों में बड़ी व्यवहारिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों (78, 39.0 प्रतिशत) ने माना की उनके साथ अन्य सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
7. अभिभावकों (54, 27.0 प्रतिशत) से जानने के उपरांत पता चलता है कि उनके बच्चों को कई बार डॉट तथा पिटाई भी पड़ती। अभिभावकों ने माना की बच्चों का विद्यालय में शैतानियाँ करना आपस में लड़ाई करना, घर का कार्य ना करना, वर्दी (गणवेश) में ना आना, स्कूल के व्यवस्थित माहौल में अव्यवस्थता या फिर विद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना या फिर कक्षा में पढ़ाते वक्त ध्यान से सुनने में कोताही बर्तने पर तथा विद्यालय के नियमों का पालन ना करने पर उन्हें डॉट पडती है या पिटाई भी लगती है। विद्यार्थियों (58, 29.0 प्रतिशत) ने माना की उन्हें डॉट तथा पिटाई दोनों का सामना करना पड़ता है। आज भी यदि देखें तो काफी बार अखबारों तथा रिपोर्टों के माध्यम से पता चलता है कि आए दिन

विद्यार्थियों को पिटाई तथा डाँट पड़ती है। विद्यार्थियों ने बताया की घर का कार्य ना करने, वर्दी में ना आने, स्कूल के व्यवस्थित माहौल में अव्यवस्थता तथा विद्यालय के नियमों का पालन ना करने पर उन्हें डाँट पडती है या पिटाई भी लगती है। इस कानून में शिक्षकों को विद्यालय में नियमों की अवहेलना करने पर बच्चे को पिटाई या डाँटने की जगह उसे समझाना चाहिए तथा किसी अन्य रास्ते का पालन किया जाए ताकि विद्यालयों में अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों की अवहेलना से बचा जा सके।

8. अभिभावकों (200, 100.0 प्रतिशत) से जानने के उपरांत पता चलता है कि सभी ने माना की उनके बच्चों के विद्यालयों में उनके खेल के लिये मैदान है। इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिनियम में दिया गया अधिकार की बच्चों को प्रत्येक विदयालय में खेलने के लिये एक खेल का मैदान प्रदान किया जाये। अतः इस बारे में सभी 20 विद्यालयों में बच्चों को खेलने के लिये मैदान की व्यवस्था है। यह जवाब इस अधिनियम के इस अधिकार को पूरा करता है।

9. अभिभावकों (20, 10.0 प्रतिशत) एवं विद्यार्थियों (20, 10.0 प्रतिशत) ने कहा की उन्हें विद्यालय में मानसिक एवं स्वास्थ्य के विकास की बेहतरी के लिये विद्यालय में कोई खेल नहीं खिलाया जाता है। शेष 90 प्रतिशत का भी कहना है कि उनकों खेल खिलायें जाते है किन्तु जो विद्यार्थी उपरोक्त खेलों का सामान स्वयं लेकर आते है प्रारम्भिक तौर पर उन्हें ही खेलने दिया जाता है, एक बार यदि कोई बालक अच्छा प्रर्दशन करता है उसके बादविद्यालय की तरफ से उसकी सहायता की जाती है, जिससे विद्यार्थी की सफलता का लाभ विद्यालय के प्रचार प्रसार में लिया जा सकें।

10. अभिभावकों (106, 53.0 प्रतिशत) ने माना की उनके बच्चों को कोई खेल का सामान नहीं दिया जाता तथा 46 अथवा 23 प्रतिशत ने माना की वे घर से खेल का सामान ले जाते हैं। इस प्रकार से विद्यालयों में विद्यार्थियों को खेल का सामान कम मुहैया करवाया जा रहा है। जिसकी वजह से आर.टी. ई. को सही से लागू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त परिकल्पना की सत्यता की जॉच के लिए विद्यार्थियों की प्रश्नावली के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को लिया गया जिसके अनुसार

1. (76, 38.0 प्रतिशत) विद्यार्थियों के जवाबों के अनुसार पाया गया कि विद्यार्थियों से अनुशासन आदि के नाम पर जुर्माना लिया जाता हैं। यह संकेत आर.टी.ई. में सुधार करने में सहायक सिद्ध होगा।
2. विद्यार्थियों (104, 52.0 प्रतिशत) ने माना की उनके द्वारा आवागमन के साधनों का प्रयोग किया जाता है इससे पता चलता है कि इतनी सख्या में आज भी विद्यार्थी साधनों से विद्यालयों में आ रहे हैं।
3. विद्यार्थियों (140, 70.0 प्रतिशत)ने कहा की विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभवों के विकास की बेहतरी के लिये शैक्षिक एवं अन्य भ्रमण पर ले जाया जाता है किन्तु इसका अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है अथवा इसका शुल्क प्रारम्भ में हीं विद्यालय शुल्क के साथ लिया जाता है, अतः सभी विद्यार्थियों को ले जाया जाता है। विद्यार्थियों (60, 30.0 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने कहा की नहीं ले जाया जाता है।
4. विद्यार्थियों(32,16.0 प्रतिशत) ने माना की उनके शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान किसी प्रकार की शिक्षण सहायक का प्रयोग नहीं करते तथा (14, 07.0 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने माना की उनकी कक्षाओं में कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग नियमित तौर पर नहीं करते परन्तु कभी–कभी करते हैं।
5. विद्यार्थियों (86, 43.0 प्रतिशत)ने माना की उनके शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान शैक्षिक तकनीकी यथा टीवी स्मार्ट बोर्ड आदि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करने देते है तथा (18, 09.0 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने माना की उनकी कक्षाओं में कक्षा शिक्षण के दौरान शैक्षिक तकनीकी यथा टीवी स्मार्ट बोर्ड आदि शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग नियमित तौर पर नहीं करते परन्तु कभी–कभी करते हैं। यदि यहाँ इनको देखा जाए तो 43 प्रतिशत शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान शैक्षिक तकनीकी यथा टीवी स्मार्ट बोर्ड आदि शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
6. विद्यार्थियों (90, 45.0 प्रतिशत) ने माना की उन्हें कोई अतिरिक्त विषय की कक्षा नहीं मिलती। जैसे विज्ञान,अंग्रेजी, गणित तथा जिस विषय में उन्हें दिक्कतें आती है।
7. विद्यार्थियों (200, 100.0 प्रतिशत) के विचारों को जानने पर पता चला की निजी विद्यालयों में मिड–डे–मील (पोषाहार) की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यार्थियों को रोज स्वयं का ही भोजन लाना पडता है। जिसे वो अपने समूह के साथ साझा करते है, क्योंकि विद्यालय के अन्य विद्यार्थी रोज अलग–अलग प्रकार का स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आते हैं, जबकि इनका भोजन सामान्य होता है।

उपरोक्त उत्तरों को देखते हुए स्पष्ट है कि अभी तक बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पालना सही रूप में नहीं हो रहीं है। अतः परिकल्पना संख्या 1 स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना संख्या 2

बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् चयनित विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

उपरोक्त परिल्पना की सत्यता की जॉच के लिए अभिभावको की प्रश्नावली के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को लिया गया जिसके अनुसार

1. अभिभावकों (200, 100.0 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं है। विद्यालय में सभी बुनियादी सुविधाएँ (स्वच्छ पानी, बेंच लाइट इत्यादि) उपलब्ध है।

2. अभिभावकों (176, 88.0 प्रतिशत)ने स्वीकार किया कि उनके बच्चों में परिवर्तन महसूस किया हैं। उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा है।
3. अभिभावकों (126, 63.0 प्रतिशत) ने स्वीकार किया कि उनका बच्चा पढाई में अधिक रूचि लेने लगा है। उपरोक्त परिल्पना की सत्यता की जॉच के लिए विद्यार्थियों की प्रश्नावली के प्रश्न 1 के उत्तर को लिया गया जिसके अनुसार विद्यार्थियों (200, 100.0 प्रतिशत) से जानने के उपरांत पता चला कि समस्त विद्यार्थी मानते हैं कि वे रोजाना विद्यालय जाते हैं।

उपरोक्त उत्तरों को देखते हुए स्पष्ट है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् चयनित विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

अतः परिकल्पना संख्या 2 स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष

1. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पालना सही रूप में नहीं हो रहीं है।
2. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् चयनित विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *अस्थाना, बिपिन (2009) : ''शैक्षिक अनुसधांन एवं साख्यिकी'', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा.*
2. *कॉल, लोकेश (2008) : ''शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली'', विकास पब्लिशिगं हाऊस.*
3. *कुमार, कृष्ण (2004) : ''बच्चे की भाषा और अध्यापक'', (पुनर्मुद्रित), नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली.*
4. *पाठक, पी.डी. (2008) : ''भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ'', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा.*
5. *सेवानी,अषोक (2016) : ''समकालीन भारत में शिक्षा'', अल्का पब्लिकेषन्स, अजमेर.*
6. *महरोत्रा, ममता (2014) : ''शिक्षा का अधिकार (RTE Act)'', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली.*
7. *''निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न'', यूनिसेफ।*